अध्याय प्रथम

शोध परिचय

अध्याय–1

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्राणी भी ऐसा जो अपने विचारों, भावनाओं तथा अनुभवों को बोलकर व्यक्त कर सकता है। अन्य प्राणी इस रूप में स्वयं के विचारों, भावों को प्रकट नहीं कर सकते अर्थात भाषा मनुष्य के लिए प्रकृति का दिया अनमोल वरदान है। प्रकृति ने यह शक्ति केवल मनुष्यों को प्रदान की है इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है।

भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। भाषा अनुकरण व अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। हिन्दी भाषा शिक्षण अनेक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित है। अंग्रेजी में भाषा को Language कहते हैं। यह शब्द लेटिन के Lingua से बना है–जिसका अर्थ जिहवा है।

व्यापक रूप में देखा जाए तो संसार के विभिन्न प्राणियों द्वारा प्रयुक्त भावाभिव्यक्ति के साधनों–अंग–प्रत्यंगों के संचालन, भाव–मुद्राओं और ध्वनि संकेतों को भाषा कहते है। भाषा ही अंतःक्रिया का आधार एवं परिणाम दोनों है। भाषा के द्वारा मनुष्य सामाजिक समूहों में संगठित होते है और अपनी संस्कृति एवं समाज का विकास करते है। भाषा मानव समाज के विकास की आधारशिला है–

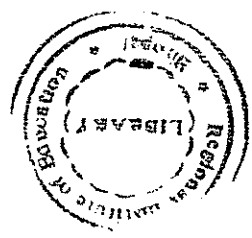

"हमारी आनेवाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति सभ्यता और मूल्यों के बारे में जानकारी देने का मुख्य स्त्रोत भाषा ही है।"

भाषा मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है भाषा के सहारे व्यक्ति न केवल अपने विचार व्यक्त करता है बल्कि उसे दूसरे तक संप्रेषित भी करता है। इसलिए मानव को बातचित करने वाला पशु कहा है। भाषा अर्जित संपत्ति है। मानव शीशु माँ के उदर से कोई भाषा सीख कर नहीं आता बल्कि जिन भाषी परिवार में उसका जन्म होता है उसका पालन पोषण होता है और जो भाषा उसे सुनने को मिलती है वही भाषा वह सीख लेता है। "भाषा के कारण ही मनुष्य-मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसको पहले से मनुष्य होना आवश्यक है।"

भाषा से पहले कोई भी संकल्पना नहीं होती केवल ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है और क्रियाओं का विशिष्ट कोश होता है। भाषा प्रकृति का वरदान है अथवा प्रदत्त शक्ति है यह आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। भाषा को उनकी उत्पत्ति के पीछे दैवी शक्ति का हाथ माना गया था इसलिए भाषा को ईश्वरीय कृति मान लिया गया है। भाषा एक जीवंत शक्ति है। उनकी ध्वनियों में हजारों वर्ष की परंपरा है जिनके कारण अनेक परिवर्तन हो गये है और अनेक नयी ध्वनियाँ विकसित हुई है।

हमारी शिक्षा व्यवस्था और भाषा की शिक्षा को एक स्कूली विषय के रूप में देखा जाता है। बच्चों के समग्र विकास के संदर्भ में नहीं। इस सीमा के चलते स्कूलों के दैनिक जीवन और वातावरण में भाषा की भूमिका का महत्व पहचानने की जरूरत नहीं की जाती। शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक

दी गई पाठ्यपुस्तकों की मदद से शिक्षण विभिन्न पारंपरिक अंगों में उलझे रहते है उनके पास बच्चों की भाषा सुनने और समझने का समय नहीं होता। प्रारंभिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है। यह पहली सीढ़ी है जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता है।

आज की शिक्षा व्यवस्था में शाला स्तर की शिक्षा को प्राथमिकता दी है। संपूर्ण देश के शिक्षा प्रेमी इस स्तर की शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यरत है जिला शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रारंभिक शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए विविध प्रकार के कार्य प्रयास किये जा रहे है। विशेषतया विद्यार्थियों में साहित्यिक रूचि एवं योग्यता के स्तर को बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना चाहिए। नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों का निर्माण पुरातन शिक्षण प्रक्रिया में नाविन्य एवं बदलाव परीक्षा एवं मूल्यांकन तरीकों में बदलाव तथा सभी बच्चों की भाषा में साहित्यिक रूचि एवं उपलब्धि में परिवर्तन होना चाहिए।

1.2 भाषा का महत्व

भाषा मनुष्य जीवन की व्यवहारिक गंगा है जो हमेशा वाणी के रूप में बहती रहती है और मनुष्य जीवन को संवारकर उजाले का दीपक प्रकट करती है। भाषा संबंधी ज्ञान में परिपक्व बालक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सफल होता है क्योंकि उसकी सशक्त अभिव्यक्ति शुद्ध भाषिक प्रयोग प्रसंगानुसार अर्थ–बोध की दक्षता जीवन में उसे प्रतिक्षण सफलता की और अग्रसर करती है जिससे वह समाज में अपना एक सार्थक व विशिष्ट स्थान बना लेता है। निष्कर्षतः कह सकते है कि भाषा ज्ञान की सम्पन्नता भेरूदण्ड की तरह जीवन के प्रत्येक मोड पर विद्यार्थी की प्रतिष्ठा रक्षा में सहायक होती है।

भाषा ही मानव जीवन के ज्ञानात्मक कार्यक्रम कार्यात्मक क्षेत्र में उसके सर्वोत्तम का विकास कर उसकी आत्मानुभूति उसके अपने सृजक के साथ एक रस एकलीन होने का माध्यम भी है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और तथ्य पर अपने विचार प्रकट करने के लिए तथा किसी सुनी हुई बात पर प्रतिक्रिया करने के लिए भी हम भाषा का व्यवहार करते है। भाषा का महत्व मात्र इस बात पर निर्भर है कि वह कितनी संपूर्णता के साथ भावों विचारों का वहन करती है।

विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास व शिक्षा के सार्वभौमिकरण मैं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सभी विषयों का ज्ञान शिक्षार्थी भाषा से ही ग्रहण करता है। परंतु पूर्व में किए गए शोध अध्ययनों तथा प्रतिवेदनों के परिणाम से यह संकेत मिलते है कि भाषा सभी बच्चों के प्रारंभिक स्तर पर वांछित दक्षता में प्रवीणता स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए है।

हिंदी को राष्ट्र भावनाओं की संवाहिका मानी गई है। हमें अपनी भाषा के जातीय रूप की रक्षा करनी चाहिए। हिंदी की शक्ति उसे अपनाने प्यार करने वाली जनता की शक्ति है। दुर्बोध उच्चारण के लिए विकट शब्दावली से उसे बचाना चाहिए अर्थात हमें भरसक अपनी शैली सुगम बनानी चाहिए और वैज्ञानिक शब्दावली में भी भरसक हिंदी प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा साहित्य इस देश की जनता के लिए है। इसलिए अंग्रेजी के बदले हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। जातीय संस्कृति से भाषा का घनिष्ठ संबंध है यह ध्यान में रखकर समग्रता से देखा जाए तो यह कार्य बहुत बड़ा है और कहीं वर्षों की आजादी के बाद भी हमारा लक्ष्य काफी दूर है। परंतु प्रेम निष्ठा व सद्भावना के साथ आगे बढ़ाने पर सफलता अवश्य मिलेगी। इसी में राष्ट्र का गौरव सम्मान और व्यक्तित्व निहित है।

भाषा मानव एवं मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। मनुष्य की भाषा और उसके विचारों में अटूट संबंध होता है। विचार से भाषा प्रस्फूटित होती हैं और भाषा के माध्यम से विचार और विचार प्रधान .भाषा

मनुष्य की विशेषता है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता।

भाषा के मौखिक एवं लिखित दोनों ही रूप समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भाषा के बिना समाज मूक हो जाएगा। भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्य दण्डी अपने ग्रंथ काव्यदर्श में कहते है कि-

"इदमन्धतमः कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम्।
यदि शब्दोह्यं ज्योतिः संसार न दीप्यते।।"

यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित नहीं होती तो तीनों लोक अज्ञानरूपी घने अंधकार से पूर्ण हो जाते। अतः शिक्षक एवं हरेक मनुष्य को भाषा के महत्व को जानते हुए भाषा शिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा भाषा शिक्षण में विविध सिद्धांतों तथा शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि शिक्षण में रूचि एवं स्वभाविकता बनी रहे।

1.3 मातृ भाषा के रूप में हिंदी

जिस प्रकार माता और मातृभूमि के सम्मुख हमारा मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है। उसी प्रकार मातृभाषा भी वंदना के योग्य है। बालक परिवार और समाज में रहकर भाषा को सीखता है। बालक जितनी कुशलता से स्वाभाविक ढंग से मातृभाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है उतना और किसी भाषा के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त करने और समझने की सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए मातृभाषा ही वह भाषा है जिसके द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव होता है। अतः विद्यालयों में मातृभाषा की शिक्षा देना परम आवश्यक है। मातृभाषा समस्त

भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक की प्रथम भाषा होती है। इसलिए हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में हिंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है।

महात्मा गांधी ने कहा था– **"मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध।"**

बहता हुआ नीर जिस प्रकार पवित्र और शुद्ध होता है इसी प्रकार भाषा भी बहता हुआ नीर है। माता का दूध बालक के शारीरिक विकास के लिए सुपाच्य एवं पवित्र होता है। इसी प्रकार मातृभाषा का ज्ञान पर बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किसी सीमा तक निर्भर करता है। बालकों के बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास में उसकी भाषा क्षमता का बहुत बड़ा हाथ है मातृभाषा को सीखने के लिए बच्चे को कही से भी शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती है। वह सहज रूप से सीख लेता है। इसलिए मातृभाषा की शिक्षा एक विषय मात्र न रहकर संपूर्ण शिक्षा की एक अनमोल धरोहर बन जाती है।

जोगी के विचरते रहना और नदी के बहते हरना ही उत्तम है। उसी प्रकार मातृभाषा में विचारों को प्रकट करके संसार और समाज में अपना स्थान प्राप्त करके आपसी संबंध को विकसित करता है। मातृभाषा ही एक जीवंत भाषा के रूप में जन समुदाय के एवं बच्चे की शिक्षा एवं व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

1.4 राजभाषा के रूप में हिंदी

किसी भी स्वाधीन सार्वभौम देश अथवा राष्ट्र का अपना एक व्यक्तित्व होता है। स्वतंत्र संघर्ष के समय यह अनुभव किया गया कि भारत के लिए प्रतिनिधि या संपर्क भाषा की आवश्यकता है और वह अपेक्षाकृत अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने के कारण हिन्दी हो सकती है। स्वतंत्रता के उपरान्त भारत में संविधान के अनुच्छेद 343 में उपबन्ध किया गया कि संघ

की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। 1963 के राजभाषा अधिनियम में राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया। 1976 के राजभाषा नियम में कहा गया कि केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हो सकते है। हिन्दी के पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में ही दिये जाएँगे।

हिंदी के विकास का स्वरूप आरंभ से ही सौहार्द, प्रेम, समन्वय और संपर्क की भाषा का रहा है। पिछले एक हजार वर्षो के अपने इतिहास में हिंदी साहित्य का सृजन देश के विभिन्न क्षेत्रों– विभिन्न मतावलंबियों और विभिन्न भाषा–भाषियों द्वारा व्यापक रूप से किया जा रहा है। भारत की यह एक ऐसी भाषा है जो भारत में व्यापक रूप से अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। हमारा प्राचीन वाड्मय इसी भाषा में उपलब्ध है।

'हिन्दी द्वारा भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है'।

–महर्षि दयानंद सरस्वती

भारतय के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान में राजभाषा संबंधी कई संवैधानिक उपबंध है जिनके आधार पर राजभाषा हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता हैं।

- संघ की राजभाषा संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
- संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगी। परंतु राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष भी ऐसा सदस्य हो जो हिंदी अथवा अंग्रेजी अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने की अनुमति दे सकेगा।

- राज्य की राजभाषा अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य विधान मंडल हिंदी या राज्य में प्रयुक्त एक या अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है।
- राष्ट्रपति के आदेश 1955 के अनुसार कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था।

<u>राजभाषा आयोग</u> :-

संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसरण में 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई जिसकी परीक्षा के लिए इस अनुच्छेद के खण्ड (4) के अनुसार लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्यों की एक संसदीय समिति गठित की गई है।

<u>राष्ट्रपति का आदेश 1960</u>:-

राष्ट्रपति ने संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत 1959 की रिपोर्ट पर राजभाषा आयोग के सिफारिशों के आधार पर समिति द्वारा प्रकट किए गए मंतव्य के संदर्भ में 27.04.1960 को एक आदेश पारित किया जिसमें शिक्षा मंत्रालय को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए एक स्थायी आयोग गठित करने और संवैधानिक नियमों विनियमों और विधियों के शब्द कोश तैयार करने को कहा गया और वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया।

<u>केंद्रीय हिंदी समिति</u>:-

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित यह एक उच्च समिति है जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों और कुछ मुख्य मंत्रियों तथा कुछ संसद सदस्यों और हिंदी सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि होते है। राजभाषा विभाग के सचिव इसके सदस्य सचिव होते है।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँः-

प्रत्येक विभाग और कार्यालय में राजभाषा का कार्यान्वय समितियाँ होती है संबंधित विभागों और कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है। और राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करती है।

इस प्रकार राजभाषा हिंदी के कार्यान्वय के लिए भारत सरकार में समूचित व्यवस्था है। 50 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। यह खेद जनक स्थिति है।

1.5 राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी

राष्ट्रभाषा देश की विभिन्न भाषाओं में प्रधान भाषा है। प्रशासन, व्यापार, अन्तराष्ट्रीय मामलों और संचार व्यवस्था में समूचे राष्ट्र में काम आती है।

भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। प्रत्येक बालक के लिए ऐसी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है जो मातृभाषा व भाषा के अतिरिक्त हो जिसके माध्यम से वह अपने देश में अन्य भाषा भाषियों के साथ संपर्क स्थापित कर सके। यह भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है। राष्ट्रभाषा का अभाव उस राष्ट्र को ही हीन बना देता है। भावात्मक एकता की दृष्टि से भी राष्ट्रभाषा का अपना महत्व है यह जनसाधारण के हृदय में परस्पर स्नेह का संचार करने में सहयोग करती है।

यूनियन और हिंदी भाषी राज्यों के बीच सारी लिखा पढ़ी हिंदी में होनी चाहिए। हाँ जिन राज्यों की सरकारों को इसमें आपत्ति है, उनके लिए तब तक के लिए अंग्रेजी रख सकते हैं जब तक उनकी भाषा में अनुवादित करके भेजने या वहाँ से आए पत्र व्यवहारों को हिन्दी में करने का प्रबन्ध

नहीं कर सके प्रादेशिक और हिंदी का संबंध इतना घनिष्ठ है कि अनुवाद में कठिनाई नहीं हो सकती।

हिंदी का पर्याप्त ज्ञान (1965 तक) सभी हिंदी भाषी राज्यों के अधिकारी प्राप्त कर सकते है। यदि अंग्रेजी को रखने का आग्रह न किया जाए अहिंदी राज्यों के लिए उसकी अनिवार्यता नहीं हो प्रोत्साहन दिया जा सकता है। केन्द्र हिंदी भाषी राज्य और दुतवासों में काम करने के लिए हिंदी के पर्याप्त ज्ञान की अनिवार्यता हाने पर लोगों को स्वयं हिंदी पर अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी।

प्रादेशिक भाषाओं को ही अपने राज्यों में ग्राम पंचायत से हाईकोर्ट तक व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। अहिंदी भाषी किसी राज्य में हिंदी को हाईकोर्ट की भाषा के तौर पर भी स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों और सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी होनी चाहिए। संविधान के अनुवाद की तरह हमारी सारी कानूनी परिभाषाऐं देश भर के लिए एक होनी चाहिए। इनकी संख्या तीस हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन परिभाषाओं के बन जाने पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि सभी भाषाऐं उच्चतम न्यायालय तक के काम के उपयुक्त हो जायेंगी।

प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी भाषा के अतिरिक्त एक और भारतीय भाष को आवश्यक पढ़ना चाहिए। इन नियम के अनुसार अहिंदी भाषी विद्यार्थी को यथा शक्त हिंदी नहीं तो किसी दूसरी एक भाषा को और हिंदी भाषी विद्यार्थी को एक और भाषा सीखना चाहिए। दूसरी भाषा का आरंभ दस साल की उम्र में होना चाहिए अनेक यूरोपियन देशों की तरह हाइस्कूल तक हमारे यहाँ भी संसार की दो भाषाओं का द्वितीय भाषा के तौर पर पढ़ना चाहिए। हिंदी क्षेत्र में बहुत-सी यूनिवर्सिटियाँ है इसलिए विद्यार्थियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भाषा की कोई दिक्कत नहीं होती। अंतराष्ट्रीय अंक भी भारतीय अंकों से ही निकले है और टाइपराइटर तथा छापखाने में उनके प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं हैं।

प्रत्येक विद्यार्थी को दस वर्ष की उमर या चौथी श्रेणी से उपर अपनी भाषा के अतिरिक्त एक और भाषा को भी अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए।

देश की एकता के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक है देशभर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन होना। अगर आज हिंदी मान ली गई तो वह अपनी सरलता व्यापकता और क्षमता के कारण। वह किसी प्रांत विशेष की भाषा नहीं बल्कि सारे देश की भाषा हो सकती है– **सुभाष चंद्र बोस**

1.6 विश्व की महान भाषा के रूप में हिंदीः–

हिंदी भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा होगी और उसके अधिक से अधिक लोगों की अपनी भाषा होने के कारण वह अंतराष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगी। चीनी और अंग्रेजी के बाद वही भाषा है, जो इतनी बड़ी संख्या की भाषा है। हिंदी के उपर इसके लिए बडा दायित्व आ जाता है। हिंदी को एक विशाल जनसमूह के राजकाज और बातचीत को चलाना नहीं है बल्कि उसी शिक्षा का माध्यम बनाना है। फिर आजकल की शिक्षा सिर्फ कविता, कहानी और साहित्य कला, निबंध तक सीमित नहीं है। विश्व के प्रत्येक उन्नत भाषा का साहित्य अधिकतर साइंस के ग्रंथों पर अवलंबित है। सरह स्वयंभू से पंत निराला, महादेवी वर्मा तक का साहित्य बहुत सुंदर और विशाल है। नाटक छोडकर सभी अंगों में विश्व के किसी भी प्राचीन और नवीन साहित्य से उनका संबंध है।

1.7 प्रतिनिधि भाषा के रूप में हिंदी

विविधता में एकता वाले भारत देश में भाषाओं की भी विविधता पायी जाती है अनेक भाषाए बोली और लिखी जाती है यह विविधता केवल बाहरी सतह पर है किंतु हिंदी जहाँ तक राजभाषा संपर्क भाषा है। महान साहित्यिक भाषा में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समस्त भारत एक राष्ट्र है। इस

तथ्य के विरुद्ध प्रमाण रूप प्रायः यह बात रखी जाती है कि यहाँ अनेक भाषाऐं एवं बोलियाँ है।

सभी भाषाओं में हिंदी या हिन्दुस्तानी का स्थान सबसे आगे है कुछ बातों में तो हिंदी भारत की घरेलु भाषा की दृष्टि से अवश्य केवल दक्षिण–पूर्वी उत्तरी ग्वालियर तथा पूर्वी राजस्थान आदि कतिपय प्रदेशों में बोली जाती है। हिंदी में वे सभी शक्ति सामर्थ्य और गुणों के दर्शन होते है जिसके कारण सांस्कृतिक एकता की भी प्रतीक बन गई है।

साहित्य एवं विचार–विनिमय की दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण गिनी जाने वाली बड़ी भाषाऐं केवल दस है। उनमें से सिन्धी शायद छोडी जा सकती है क्योंकि 35 लाख सिंधी भाषी अब भारत में आये हुए कई लाख हिंदु शरणार्थियों के सिवा अधिक तथा पाकिस्तान के नागरिक बन गए है।

बोलने वाले तथा व्यवहार करने तथा समझने वालों की संख्या की दृष्टि से हिन्दुस्तानी का स्थान जगत की महान भाषाओं में तीसरा है इस प्रकार हिंदी या हिन्दुस्तानी आज के भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी स्थिति है।

अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की परंपरा प्राचीनतम है। हजारों शताब्दियों से वह जन समुदाय की संपर्क भाषा शिक्षा ज्ञान विज्ञान साहित्यकला सृजन, संगीत, नाट्य अभिव्यक्ति की भाषा रही है।

इस तरह हम देखते है कि अखिल भारतीय भाषाओं की सदियो परंपरा में हिंदी उसकी स्वाभाविक प्रतिनिधित है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान करने में हिंदी का प्रमुख योगदान रहा है।

हिंदी का विकासशील स्वरूप हिंदी साहित्य का विभिन्न विधाओं में गुणात्मक एवं संख्यात्मक दृष्टि से समृद्ध होना। हम हिंदी को साधारणतया का में पर– से– इस– उस–जिस–किस तथा ना–ता–आ–गा भाषा कहकर पुकार सकते है। इन अनुसर्गो तथा विभिन्न विभक्तियों से ही हिंदी उत्तर

भारत की उन विभिन्न अन्य भाषाओं तथा बोलियों से अलग पड जाती है। और भाषा के रूप में जनपदीय शब्दावली का समावेश और शब्द सम्पत्ति में बढोत्तरी करके राष्ट्रभाषा के रूप में व्यापक स्वरूप धारण करके अपना परिचय कराती है।

भाषाई दृष्टि से दिल्ली एक ऐसा संगम स्थल है जहाँ कई भाषाऐं और बोलियाँ आकर मिलती है। इसके उत्तर–पश्चिम में हरियाणी, दक्षिणी, पश्चिम में मेवाती और राजस्थानी दक्षिण–पूर्व में ब्रज और उत्तर पूर्व में खड़ीबोली या कौरवी का क्षेत्र है भाषाई भूगोल की दृष्टि से देखे तो दिल्ली को खड़ी बोली और हरियाणी की सीमाएं ही अधिक दूर तक धरे हुए है।

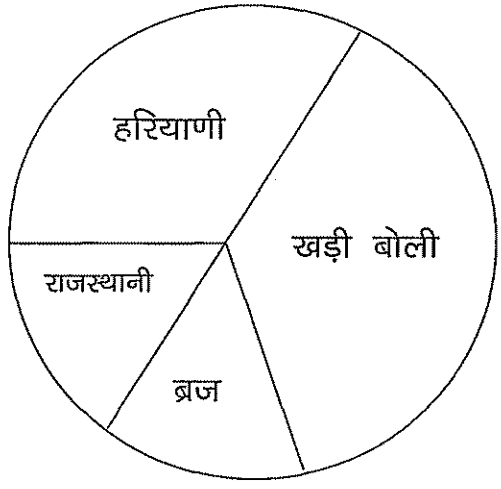

1.8 साहित्य

'साहित्य' शब्द काव्य एवं उसके शास्त्रपक्ष के अर्थ में लिया जा रहा है इस प्रकार यहाँ 'साहित्य' वाड्मय का एक प्रकार है पर्याय नहीं। राजशेखर ने भी कहा है कि वाड्मय दो प्रकार का होता है काव्य एवं शास्त्र यहाँ इसी प्रथम प्रकार के लिये साहित्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। काव्य का शास्त्र पक्ष 'काव्य' का अंग होने से उसी में तिरोहित समझना चाहिए। काव्य या साहित्य की परिभाषाऐं उन्नत हुई है। और सभी सत्य रही पर अंतिम नहीं उसका कारण है व्यक्ति व्यक्ति की रुचि।

देश–काल एवं व्यक्ति की दृष्टि से प्रतिमान बदलते रहते है। इसलिए उसकी परिभाषाऐं भी बदलती रहती है। काव्य शब्दार्थ की वह समष्टि है जिसकी दोनों व्यष्टियाँ परस्पर प्रतिस्पर्धा पूर्वक रमणीयता जतन करनी है।

पश्चिमी आलोचक काव्य कला के भीतर लेते है। और सौंदर्य का उन्मीलन उसका लक्ष्य बताते है आचार्य उसके काव्य को कला से उपर की वस्तु समझते है और इसका उन्मीलन साध्य बताते है।

हिंदी साहित्य में मुसलमानों के योगदान को एक दृष्टि से समझने के लिए मध्यकाल के हिंदी साहित्य का डॉ. रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत यह रेखाचित्र बहुत ही सुस्पष्ट है–

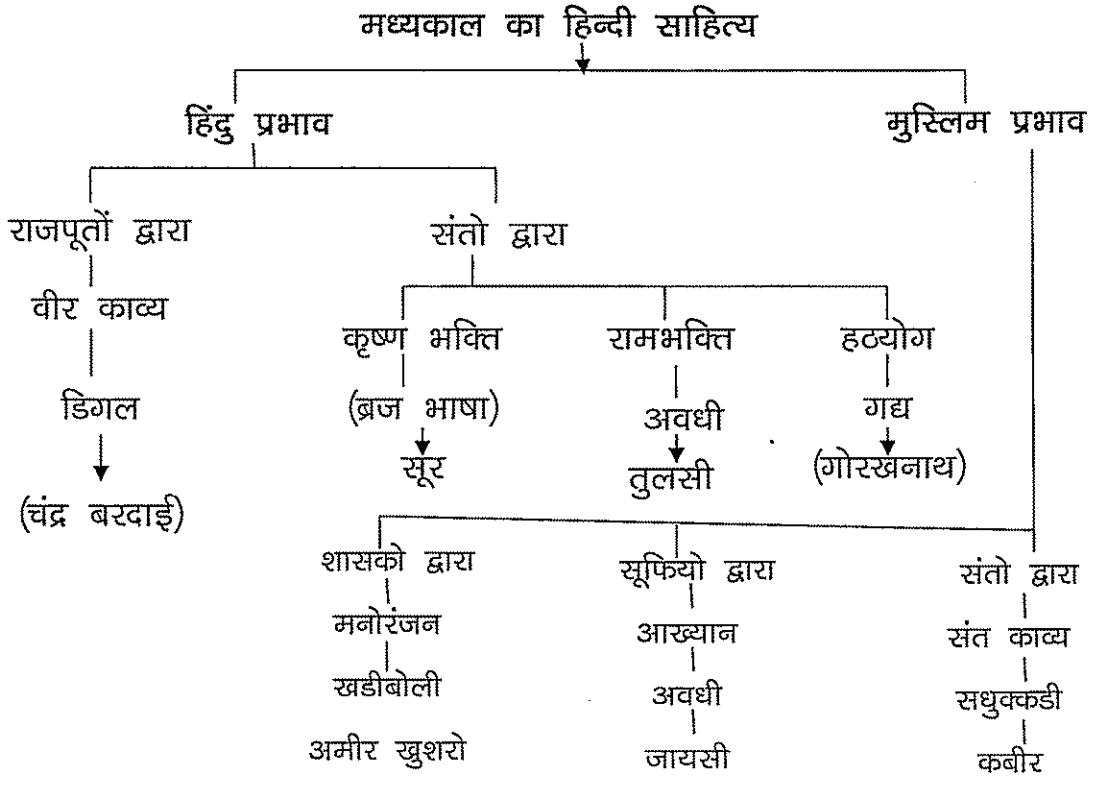

संस्कृत साहित्य में साहित्य शब्द की उत्पत्ति साहित्य भाव साहित्यम् से हुई है जिससे आशय है शब्द और अर्थ का सहभाव ही साहित्य है।

1.9 रूचि क्या है?

रूचि से बढ़कर कोई चीज नहीं है तथा इसके अभाव में शिक्षक के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। अतः कुछ भी पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को छात्रों में रूचि जागृत करनी चाहिये तथा इसे बराबर बनाये रखना चाहिये। इसीलिये किसी ने कहा है कि–

"Interest is the greatest word in the dictionary of Education"

रूचियाँ केवल यही नियंत्रण नहीं करती कि अवधान को क्या आकर्षित करता है अपितु वे यह भी नियंत्रण करती हैं कि अवधान को क्या स्थिर किए रहता है। मन्द से मन्द विद्यार्थी भी क्लास में अपनी कुर्सी के सिरे पर बैठ जाता है जब क्लास मं शिक्षक सिनेमा की बात करता है। इसी प्रकार जिन विज्ञापनों में अश्लीलता होती है वे कुछ लोगों के लिये विशेष आकर्षण का बिंदु होते है। भूखा व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन पर रूचि के कारण ही टूट पड़ता है, भले ही उसे भूख न हो। इसी प्रकार प्रोफेसर, डॉक्टर तथा क्लर्क अपनी–अपनी रूचियों की वस्तुओं की और ही अवधान देते है। उदा. दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर जिस बात में रूचि रखेगा उसमें जीवशास्त्र का प्रोफेसर रूचि नहीं लेगा। वास्तव में जिन वस्तु में रूचि उत्पन्न हो जाती है वहीं वस्तु हमारे अवधान के केन्द्र में आ जाती है।

उदा.

परीक्षक में पूछा बैल के मुँह में कितने दाँत होते है। छात्र ने लापरवाही से कहा बत्तीस। परीक्षक ने नाराज हुए बीना सामने खडे बैल के दाँत गिनने को कहां। छात्र देख कर हतप्रभ रह गया कि बैल के एक जबड़े में एक भी दाँत नहीं था। परीक्षक ने समझाया कि कोई भी शाखा अच्छी या बुरी नहीं होती तुम इसी शाखा में रूचि उत्पन्न करो। परीक्षक की इस प्रेरणा

से अभिभूत हो वह छात्र भविष्य में इसी शाखा में रूचि लेने लगा और एक महान वैज्ञानिक सिद्ध हुआ।

1.10 रूचि का अर्थ एवं परिभाषाः-

रूचि :

Intrest की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द Interesse से हुई है। स्काउट के अनुसार इसके कारण अंतर होता है।

रॉस के अनुसार :

इस शब्द का अर्थ है– "यह महत्वपूर्ण होती है।" या इसमें लगाव होता है।

1. **भाटिया :**

रूचि का अर्थ है अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रूचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तु में अंतर होता है क्योंकि उनका हमसे संबंध होता है।

2. **क्रो एवं क्रो :**

"रूचि वह प्रेरक शक्ति है, जो किसी व्यक्ति वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है।"

1.11 रूचि को कैसे बढ़ाया जाए?

व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा है। वह असीम खजाने से भरा होता है। ठीक इसी प्रकार बालक रूपी नन्हा पौधा भी अनेक गुणों से परी पूर्ण होता है। आवश्यकता होती है उन अंतर्निहित क्षमताओं के प्रस्फूटन की कल्पनाओं और सृज नात्मकता का अनूठा संगम होता है उसका बचपन। आवश्यकता होती है उसे उकेरन और तराशने की। यह सब कार्य अध्यापक आन्तरिक

अभिप्रेरणा का प्रयोग करके कर सकता है। ऐसा करके वह छात्र में पढने के प्रति रूचि ही उत्पन्न नहीं करता बल्कि उसकी विविध रूचियों एवं विशेषताओं को बढ़ाया देने का अवसर प्रदान करता है।

1.12 बालकों में रूचि उत्पन्न करने के कारण

बालकों को लगातार पढाया जाना या मौखिक ढंग से पढ़ाया पाठ्य वस्तु से अरूचिकर बनता है। अतः निम्न बातों में ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है।

1. **ज्ञात से अज्ञात** (Knoun to unknown) का संबंध जोडकर विद्यार्थियों की रूचि को बरकरार रखना चाहिए।

2. **भाटिया (Bhatia)** आयु के अनुसार होता रहता है, अतः शिक्षक को उनकी रूचि के अनुसार पाठ्य विषय का आयोजन करना चाहिए।

3. **झा (Jha)** बालकों को अपनी मूल प्रवृत्तियों अभिवृत्तियों आदि से संबंधित वस्तुओं में रूचि होती है। अतः शिक्षक को उनकी रूचि के अनुकूल चित्रों स्थूल पदार्थों आदि का प्रयोग करना चाहिए।

   इन्हीं सब बातों से प्रेरित यहाँ छात्रों की रूचियों को भाषा में देखा गया है अर्थात् छात्र हिंदी भाषा में कितनी रूचि लेते है या वे इनमे क्या बदलाव चाहते हैं।

1.13 योग्यता क्या है ?

योग्यता याने क्षमता कौशल जैसे की हर एक व्यक्ति में कोई न कोई विशेषताएँ होती है उसी प्रकार बच्चों में भी योग्यता होती है। जो जन्मजात होती है। कुछ बच्चों में क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है। जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है जैसे–

"तिनके को हवा मिल जाये तो वह आग बन जाती है।"

योग्यता को बढाने के लिए उपकरणों का उपयोग किया जाये तो बच्चों की रूचि को बढ़ाया जा सकता है। क्षमता बच्चों के ज्ञान की दिशा निर्धारित करती है। क्षमता की सफलता से बच्चों के मानसिक स्तर में सुधार होती है, कक्षा में सहयोग देता है; समूह में ज्ञान का आदान प्रदान करता है और नैतिक शक्ति में भी वृद्धि होती हैं।

शिक्षा संस्थान द्वारा क्षमता निर्धारित की जाती है। जो बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे की हर एक विषय में कक्षा पाँचवी, छठी, सातवी की क्षमतायें अलग-अलग होती है। जिसके माध्यम से विषय को सरल बनाया जाता है। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। गुजरात प्रांत में हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है। तदुपरांत हिंदी भाषा हमारे व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन विकास के लिए उपयोगी है इसलिए उसे सीखना आवश्यक है। गुजरात में हिंदी, द्वितीय भाषा कक्षा 5 से 6 और 7 तक के पाठ्यपुस्तक आनंददायी प्रवृत्तिलक्षी एवं क्षमता केन्द्रि अभिमत को केन्द्र में रखकर निर्माण किये गये है। इस बात को ध्यान में रखकर कक्षा 8 के छात्रों के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक में योग्यताओं का निर्धारण किया गया है।

1.14 भाषा योग्यता

भाषा योग्यता से शोधकर्ता का अर्थ है कि यह एक जन्मजात अचेतन ज्ञान है जो लोगों को वाक्य निर्माण करने तथा उनका अर्थ समझने में मदद करता है।

किसी भी देश की भाषिक क्षमताओं का कोई उपयोग नहीं है जब तक की मानव की रूचि की योग्यता नीखर कर बहार नहीं आये। किसी भी देश में कई प्रकार के व्यापक स्त्रोत है परंतु यह मानव और उसकी रूचि पर निर्भर करता है कि हम उन स्त्रोतों में किस प्रकार के चमत्कार उत्पन्न कर सके। तो ये किसी भौतिक स्त्रोतों से नहीं बल्कि मानव की रूचि एवं

योग्यता पर निर्भर करता है कि वह अपनी संस्कृति व सभ्यता का विकास किस प्रकार करें।

विद्यार्थी में भाषा के प्रति रूचि तब संभव हो सकती हैं जब उसमें कोई भाषाई क्षमता (योग्यता) हो। यद्यपि रूचि को हम कई प्रकार से देख सकते है। परंतु भाषा ही वह मूल साधन है जिसके द्वारा योग्यता को दिखाया जा सकता है।

भाषा में योग्यता और रूचि दोनों ही एक दूसरे से जूड़ी हुई है। उनकी जड़ एक है। क्योंकि दोनों ही व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। जन्मजात ही उत्पादन भाषा है और रूचि भाषा से जुडी है इसलिए भाषा योग्यता और रूचि एक दूसरे से संबंधित है।

1.15 कक्षा में योग्यता का महत्व

जैसे कि हमने आगे देखा कि बालक ही शिक्षा का मुख्य आधार है। शिक्षा की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए बालक का विकास होना अत्यंत जरूरी है बालक का विकास यानि संपूर्ण विकास बालक में छिपी आंतरिक शक्ति का विकास बालक की क्षमता का विकास। अगर बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह कक्षा में ध्यान नहीं देगा। वह निराश हो जाता है। वह आलसी हो जाता है। विषय के प्रति उसकी अरूचि हो जायेगी और इसकी प्रतिकूल असर शिक्षण प्रक्रिया पर पडेगी। इस प्रकार शिक्षा और छात्र एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे से संबंधित है शिक्षण प्रक्रिया का मूल स्त्रोत ही बच्चों को ज्ञान अर्जन करना होता है। इस प्रकार बालक के मन के विचारों–तरंगों को बाहर खींच लाना ही शिक्षा है।''

''कहते है कि छीप में मोती छीपा होता है। उसी प्रकार बालक में अनमोल क्षमता छीपी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती।''

अंदर की सुषुप्त प्रकाश की किरणों के समान क्षमता (योग्यता) को बाहर खींचकर हर एक कोने को रोशन ज्योतिर्मय कर देना शिक्षक की ही जिम्मेदारी है।

1.16 योग्यता की विशेषताऐं

- योग्यता वर्तमान समय की वह समुच्य है जो बालक के भविष्य का निर्धारण करती है।
- योग्यता ही बालक को आगे बढ़ाने की प्रेरणा स्त्रोत है।
- योग्यता ही बालक के ज्ञान में वृद्धि कराती है।
- योग्यता के कारण देश की विकास एवं समाज का आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है।

1.17 शोध अध्ययन की आवश्यकता

बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। इतनी विविधता के बावजूद हिन्दी भाषा भारत को एक ही सामाजिक व सांस्कृतिक भाषिक क्षेत्र के रूप में बांधती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से विभाजित भाषाओं में भाषिक व्यवहार की विविधता–बहुभाषिक क्षेत्रों में संप्रेषण को सहायता प्रदान करती है। भारत जैसे देश में सामाजिक सौहार्दता तथा संभव है जब लोग एक दूसरे के विचार विमर्श, सामाजिकता एवं संस्कृति को समझे। इसलिए प्रत्येक राज्य में हिन्दी भाषा पर वर्चस्व प्राप्त कर साथ ही सामुदायिक रूख व निष्ठा का पनपना स्वाभाविक है। जबकि हम पाते है कि हिन्दी भाषा भारत में बहुभाषिकता, संज्ञानात्मक विकास व शैक्षणिक संप्राप्ति के बीच सकारात्मक जुडाव है– तो यह अत्यंत जरूरी है कि स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए।

गुजरात राज्य भारत के पश्चिम भूभाग में स्थित राज्य है। जिनकी मातृभाषा गुजराती प्रथम भाषा है तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप

में प्रयोजित है। अतः अपने देश की अखंडितता तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजकीय भौमित्व के लिए हिन्दी भाषा महत्वपूर्ण है।

अतः विभिन्न भाषा–भाषी राज्यों में व्यवहार करने के लिए तथा महात्मा गांधी ने कहा है कि ''राष्ट्रभाषा के बिना देश गुंगा'' इसलिए भारत को लिए हिन्दी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। D– 354

आज का बालक देश का आने वाला कल है। इसलिए देश की नींव की मजबूती के लिऐ यह आवश्यक है कि बालकों में भी राष्ट्र भाषा हिन्दी में से नियुक्ति बने, और किसी भी कार्य में दक्षता या निपूर्णता के लिऐ इनसे रूचि का होना आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को इसलिये चुना गया है कि बालकों में हिन्दी भाषा में सुधार लाने के प्रयास किये जा सके एवं हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा प्रयास कीये जा चुके एवं हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से विभूषित किया जाऐं।

1.18 समस्या कथन

''कक्षा आठवी के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा में रूचि एवं योग्यता का अध्ययन''

1.19 शोध कार्य के उद्देश्य

किसी भी शोध कार्य करने के पीछे उनके कोई न कोई उद्देश्य जरूर होते है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों का समावेश किया गया है।

- कक्षा आठवी के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा में रूचि एवं योग्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।

LIBRARY

- कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के प्रति रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में योग्यता का अध्ययन करना।
- शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.20 शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाए ली गयी है।

- कक्षा आठवीं के छात्रों तथा छात्राओं की हिन्दी भाषा के प्रति रूचि एवं योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के प्रति रूचि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के प्रति रूचि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1.21 शोध अध्ययन का सीमांकन

किसी भी कार्य के लिए उस कार्य के आधार पर उनकी सीमाएँ निश्चित करना आवश्यक होता है। जिनसे कार्य वैध एवं विश्वसनीय बन सके। प्रस्तुत शोध कार्य के लिऐ भी सीमाओं का निर्माण किया गया है। जो निम्नलिखित है।

- **भौगोलिक दृष्टि से :**

भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला नर्मदा के दो शासकीय एवं दो अशासकीय शालाओं तक सीमित है।

- **वैयक्तिक दृष्टि से :**

वैयक्तिक दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं तक सीमित है।

- **शैक्षणिक दृष्टि से :**

शैक्षिक दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन कक्षा आठवी तक सीमित है।

- **विषयगत दृष्टि से :**

विषयगत दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन हिन्दी विषय तक सीमित रखा गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में दो शासकीय तथा दो अशासकीय शालाओं के 200 विद्यार्थी तक सीमित है।

1.22 चेप्टराइजेशन

1.प्रथम अध्याय :

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन की प्रस्तावना एवं अध्ययन हेतु चयनित समस्या से संबंधित पूर्व में किये गये कुछ शोध कार्यो का विवरण

दिया गया है। जिसमें भाषा का महत्व, मातृभाषा के रूप भाषा का वर्णन, भाषा के उद्देश्य राष्ट्र भाषा एवं राजभाषा के रूप में हिंदी, हिंदी साहित्य भाषा रूचि का वर्णन, भाषा योग्यता के आयाम भाषा का उद्‌भव शोध की आवश्यकता के साथ-साथ शोध की परिकल्पना उद्देश्य एवं समस्या का सीमांकन आदि का उल्लेख किया गया है।

2.द्वितीय अध्याय :

द्वितीय अध्याय के अंतर्गत अध्ययन हेतु चयनित समस्या से संबंधित पूर्व में किये गये कुछ शोध कार्यों का विवरण दिया गया है। जिसमें भाषा रूचि एवं योग्यता से संबंधित शोध कार्य के विवरण दिये गये है।

3.तृतीय अध्याय :

तृतीय अध्याय में अध्ययन की प्रविधि जिसके अंतर्गत प्रयुक्त चर, प्रतिदर्श, उपकरण, प्रदत्तो के संकलन व प्रयुक्त सांख्यिकी का उल्लेख किया गया है।

4.चतुर्थ अध्याय :

चतुर्थ अध्याय में अध्ययन हेतु की गई परिकल्पनाओं का विश्लेषण कर उनकी व्याख्या की गई।

5.पंचम अध्याय :

पंचम अध्याय में शोध सारांश, शोध से प्राप्त निष्कर्ष तथा शोध हेतु सुझाव दिये गये है।

अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची एवं परिशिष्ट का विवरण दिया गया है।